

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3813

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन

3813. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के चरण-1 (2020-23) और चरण-II (2023-26) के अंतर्गत चरण-वार स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या और आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि कितनी हैं;

(ख) कर्नाटक में एनबीएचएम के अंतर्गत जिला-वार समर्थित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के ब्यौरे सहित स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार का विशेषरूप से कर्नाटक के शिवमोग्गा जैसे उच्च-संभावित जिलों में मधुमक्खी पालन-आधारित अतिरिक्त एफपीओ के गठन को समर्थन देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार की शिवमोग्गा जैसे वन-समृद्धि और जैव-विविधता-समृद्धि जिलों में आजीविका में सुधार और स्थानीय शहद समूहों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और बाजार संपर्कों को समर्थन देकर एनबीएचएम पहलों का विस्तार करने की योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.) योजना के कार्यान्वयन के चरण-I (2020-23) के दौरान, 19017.61 लाख रुपये की राशि के साथ 150 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और 12997.00 लाख रुपये उपयोग किए गए हैं। चरण-II (2023-26) के दौरान, 16161.15 लाख रुपये की राशि के साथ 202 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और अब तक 14525.00 लाख रुपये उपयोग किए जा चुके हैं।

(ख): एन.बी.एच.एम. योजना के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य में कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 21 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) नामतः मेसर्स मकरंद फार्मर प्रोड्यूसर कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड उत्तर कन्नड़ ज़िला, एवं मेसर्स ग्रामजन्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड दक्षिण कन्नड़ ज़िला शामिल हैं, जोकि क्रमशः राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) और स्मॉल फार्मर एग्री-बिज़नेस कंसोर्टियम (एस.एफ.ए.सी.) द्वारा संचालित हैं।

(ग) और (घ): एन.बी.एच.एम. के तहत मधुमक्खी पालन आधारित एफ.पी.ओ. सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को मांग-संचालित परियोजना-आधारित सहायता प्रदान की जाती है। घटकों के लिए एन.बी.एच.एम. दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। इन घटकों में जागरूकता, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं जैसे कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आई.बी.डी.सी.), मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशालाएं, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, मधुमक्खी पालन उपकरण विनिर्माण इकाइयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, गुणवत्तायुक्त न्यूक्लियस स्टॉक सेंटर और मधुमक्खी प्रजनकों का विकास, जैव विविधता बढ़ाने के लिए बी-फ्लोरा प्लांटेशन, पैकेजिंग, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए केंद्रों की स्थापना शामिल है। 10,000 एफ.पी.ओ. के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, लक्षियत 10,000 एफ.पी.ओ. पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। केलाडी शिवप्पा नायक कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, मुंदिगेरे, शिवमोग्गा को 101.57 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है।
